
		राष्ट्र की सेवा में 257 वर्षों से अधिक OVER 257 YEARS IN THE SERVICE TO THE NATION	
<b>भारतीय सर्वेक्षण विभाग / SURVEY OF INDIA</b>			
दूरभाष /Tel. 0651-2481386		झारखंड एवं बिहार भू-स्थानिक निदेशालय JHARKHAND & BIHAR GEO-SPATIAL DIRECTORATE	
फैक्स /Fax: 0651-2482789		डोरंडा,रांची/ DORANDA, RANCHI- 834002	
ई मेल / jhar.gdc.soi@gov.in		झारखंड/JHARKHAND	

झारखंड एवं बिहार भू-स्थानिक निदेशालय नेमी आदेश संख्या प्रशा0 14 /37-जी-9 दिनांक 30/12/2024

**वर्ष 2025 के राजपत्रित अवकाशों की सूची**

क्रम सं	राजपत्रित अवकाश	दिनांक	शक दिनांक	दिवस
शक संवत् 1946				
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	06 माघ	रविवार
2	होली	14 मार्च	23 फाल्गुन	शुक्रवार
शक संवत् 1947				
3	ईद - उल -फितर	31 मार्च	10 चैत्र	सोमवार
4	महावीर जयंती	10 अप्रैल	20 चैत्र	गुरुवार
5	गुड फ्राइडे	18 अप्रैल	28 चैत्र	शुक्रवार
6	बुद्ध पूर्णिमा	12 मई	22 वैशाख	सोमवार
7	ईद -उल -जुहा (बकरीद )	07 जून	17 ज्येष्ठ	शनिवार
8	मुहर्रम	06 जुलाई	15 आषाढ	रविवार
9	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	24 श्रावण	शुक्रवार
10	मिलाद-उल-नबी या ईद-उल-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन )	05 सितम्बर	14 भाद्र	शुक्रवार
11	दशहरा (महानवमी )	01 अक्टूबर	09 आश्विन	बुधवार
12	दशहरा	02 अक्टूबर	10 आश्विन	गुरुवार
13	महात्मा गांधी जयंती	02 अक्टूबर	10 आश्विन	गुरुवार
14	दिवाली ( दीपावली )	20 अक्टूबर	28 आश्विन	सोमवार
15	प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी ( छठ पूजा )	28 अक्टूबर	06 कार्तिक	मंगलवार
16	गुरु नानक जयंती	05 नवम्बर	14 कार्तिक	बुधवार
17	क्रिसमस	25 दिसम्बर	04 पौष	गुरुवार

Contd...p/2

उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त वर्ष 2025 के लिए हर एक कर्मचारी/अधिकारी को निम्नलिखित वैकल्पिक अवकाश में से दो अवकाश लेने की अनुमति दी जाती है ।

**वर्ष 2025 के प्रतिबंधित अवकाशों की सूची**

क्रम सं	राजपत्रित अवकाश	दिनांक	शक दिनांक	दिवस
शक संवत् 1946				
1	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी	11 पौष	बुधवार
2	गुरु गोविंद सिंह जयंती	06 जनवरी	16 पौष	सोमवार
3	मकर संक्रांति/ माघ विहू /पोंगल /हज़रत अली जयंती	14 जनवरी	24 पौष	मंगलवार
4	श्री पंचमी/ बसंत पंचमी	02 फरवरी	13 माघ	रविवार
5	गुरु रविदास जयंती	12 फरवरी	23 माघ	बुधवार
6	शिवाजी जयंती	19 फरवरी	30 माघ	बुधवार
7	स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती	23 फरवरी	04 फाल्गुन	रविवार
8	महा शिवरात्रि	26 फरवरी	07 फाल्गुन	बुधवार
9	होलिका दहन	13 मार्च	22 फाल्गुन	गुरुवार
10	डोलयात्रा	14 मार्च	23 फाल्गुन	शुक्रवार
शक संवत् 1947				
11	जमात-उल-विदा	28 मार्च	07 चैत्र	शुक्रवार
12	चैत्र सुकलड़ी/गुडी पड़वा/उगाड़ी /चेती चाँद	30 मार्च	09 चैत्र	रविवार
13	राम नवमी	06 अप्रैल	16 चैत्र	रविवार
14	वैशाख/विशु	13 अप्रैल	23 चैत्र	रविवार
15	मेसाडी ( तमिल नव वर्ष दिवस )	14 अप्रैल	24 चैत्र	सोमवार
16	वैशाखी ( बंगाल )/ बहाग बिहू (असम )	15 अप्रैल	25 चैत्र	मंगलवार
17	ईस्टर संडे	20 अप्रैल	30 चैत्र	रविवार
18	गुरु रवीन्द्रनाथ जयंती	09 मई	19 वैशाख	शुक्रवार
19	रथ यात्रा	27 जून	06 आषाढ	शुक्रवार
20	रक्षा बंधन	09 अगस्त	18 श्रावण	शनिवार
21	पारसी नव वर्ष दिवस/नवरोज	15 अगस्त	24 श्रावण	शुक्रवार
22	जन्माष्टमी(समर्ता)	15 अगस्त	24 श्रावण	शुक्रवार
23	जन्माष्टमी (वैष्णवी )	16 अगस्त	25 श्रावण	शनिवार
24	गणेश चतुर्थी /विनायक चतुर्थी	27 अगस्त	05 भाद्र	बुधवार



25	ओणम या थिरु ओणम दिवस	05 सितम्बर	14 भाद्र	शुक्रवार
26	दशहरा (सप्तमी)	29 सितम्बर	07, आश्विन	सोमवार
27	दशहरा (अष्टमी )	30 सितम्बर	08 आश्विन	मंगलवार
28	महर्षि वाल्मीकि जयंती	07 अक्टूबर	15 आश्विन	मंगलवार
29	करक चतुर्थी (करवा चौथ )	10 अक्टूबर	18 आश्विन	शुक्रवार
30	नरक चतुर्दशी	20 अक्टूबर	28 आश्विन	सोमवार
31	गोवर्धन पूजा	22 अक्टूबर	30 आश्विन	बुधवार
32	भाई दूज	23 अक्टूबर	01 कार्तिक	गुरुवार
33	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	24 नवम्बर	03 अगहन	सोमवार
34	क्रिसमस ईव	24 दिसम्बर	03 पौष	बुधवार
35	सरहुल	झारखंड सरकार के त्यौहार सूची के अनुसार तिथि निर्धारित किया जायेगा ।		
36	करमा			

इन प्रतिबंधित अवकाशों को लेने के लिए पहले लिखित रूप में अनुमति लेना होगा और सामान्यतः उस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है । इसका रिकार्ड रखा जायेगा तथा आकस्मिक अवकाश पंजिका में लाल स्याही से वैकल्पिक अवकाश दर्ज किया जायेगा ।

सभी अवकाशों में तत्काल कार्य निपटाने के लिए अवकाश व्यवस्था की जायेगी और इसके लिए छुट्टी रोस्टर रखा जायेगा । अवकाश के दिन भी कर्मचारी इ्यूटी के लिए तैनात किया जायेगा तथा उस छुट्टी के स्थान पर आगामी किसी दिन प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे । इस प्रकार की प्रतिपूरक छुट्टी इ्यूटी करने के एक माह के अंदर लेना होगा उसके उपरांत प्रतिपूरक अवकाश जमा नहीं होगा । इस प्रकार के प्रतिपूरक अवकाश राजपत्रित अधिकारियों को नहीं दिए जायेंगे ।

Signed by Ravindra Kumar

Date: 30/12/2024 14:06

निदेशक

झारखंड एवं बिहार जी० डी०, राँची

प्रतिलिपि :-

- 1 भारत के महासर्वेक्षक को सूचनार्थ ।
- 2 अपर महासर्वेक्षक , पूर्वी क्षेत्र , कोलकाता को सूचनार्थ ।
- 3 वरिष्ठ लेखा अधिकारी , क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय को सूचनार्थ ।
- 4 सभी अनुभाग अधिकारी को सूचनार्थ ।
- 5 गार्ड फाइल/ नोटिस बोर्ड
- 6 Incharge SOI website, SGO Dehradun.